प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

सेवा में,

प्रबन्धक,

जी० आर० ग्लोबल, एकाडेमी, जू० हा० स्कूल,
बिसाहड़ा, दादरी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक सं0: शि0स0 / 1473-477 / 2006–07 दिनाँक 23-5-07

विषयः– जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता, समिति की बैठक दिनांक **18-5-2007** में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646 / 15–6–97–18 एस (7) 89 / शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धी के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध :–

1) विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्ते पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता मे परिवर्तित नहीं करा ली जाती।
2) प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजजऐक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।
3) विद्यालय में छात्रों के चरित्र निर्माण से सम्बंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्रति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये।
4) समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।
5) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवन शुल्क / कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।
6) मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक / शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक / शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे।
7) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सेक्शन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा।
8) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
9) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा।
10) विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक / अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

सत्यापित
Manager
G. R Global Academy
Dadri, (U.P.)

For G.R. Global Academy
Rshe
Principal

11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों व आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

12) विभागीय आदेशों का पालनप किया जाये।

13) विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जांनी चाहिए।

14) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।

15) विभागीय आदेशों/नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।

16) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे है वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करने हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षों का निमार्ण करायें।

भवदीय,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

पृ०सं० शि०स० / ____ / 2006-07 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदशक (बेसिक) उ० प्र० इलाहाबाद।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० इलाहाबाद।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी,
5. शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका नगर क्षेत्र,
6. क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, दादरी।

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

For G.R. Global Academy
Principal

Manager
G R Global Academy
Dadri. (U.P.)

Ckg/jhr/mmm

कार्यालय जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर

प्रबन्धक जी० आर० ग्लोबल एकेडमी
फूलवती नगर बिसहड़ा रोड
दादरी

दिनांक : 27-1-06

पत्रांक मान्यता / 7230-81 / 200 – 200

विषय : **प्राइमरी स्तर की अस्थायी मान्यता की स्वीकृति।**

महोदय,

आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर जिला मान्यता समिति की बैंठक दिनांक 25/1/06 के प्रस्ताव संख्या 01 के निर्णय के अनुसार तथा विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन शिक्षा (6) अनुभाग संख्या 1873/16.06.98–18/ एतद (7) 89 लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर 1998 के अनुपालन में अस्थायी मान्यता की शर्तो को सरलीकरण करते हुए कतिपय प्रतिबंधों के साथ अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

क. विद्यालय को जुलाई 2005 से प्राइमरी स्तर की कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता प्रदान की जाती है।

ख. पूर्व प्रदद प्राइमरी स्तर की अस्थायी मान्यता शिक्षा प्रसार विद्यालय हित/ छात्र/ छात्रा के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जनहित में जुलाई 2005 से जून 2010 (पांच वर्ष) तक मान्यता प्रदान की जाती है।

ग. विद्यालय की प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता हेतु जुलाइ 2010 से समयवधि हेतु आवेदन करें।

प्रतिबन्ध

1. प्रशिक्षत अध्यापकों को ही नियुक्ति की जाये।
2. विद्यालय में स्वीकृत पाठयकम की ही पुस्तके पढ़ाई जाये।
3. विद्यालय में विभागीय निर्धारित शुल्क लिया जाये।
4. किसी भी अध्यापक को बिना विभागीय अनुमोदन के नियुक्त अथवा सेवा विमुक्त न किया जाये।
5. विद्यालय में सभी धर्मो के छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाय।
6. विद्यालय की प्रगति वर्ष (पांच वर्ष) 30 जून तक प्रस्तुत कर दी जाये।
7. विभागीय कर्मचारियों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

तददिनांक

पत्रांक मान्यता / / 200 – 200

1. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र। दादरी
2. जिला समाज कल्याण/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

(हस्ताक्षर)
Manager
G R Global Academy
Dadri, (U P)

For G.R. Global Academy
(हस्ताक्षर)
Principal